IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
(Civil Writ Jurisdiction)
C.W.J.C. NO. of 2014

Bishnudeo Choudhary ....Petitioner.

VERSUS

The State of Bihar and others ....Respondents

Synopsis

Prayer-	For direction to respondents to comply the order dt. 30.06.2011 passed by Land Reforms Deputy Collector, Udakishunganj, in Bihar Land Dispute Resolution case No.50/2010-11 by which order directed to the respondent no. 5 & 6 to give possession of the Land to petitioner which has been illegally encroached by the Private respondent, inspite of the order of the respondent LR.D.C., Udakishunganj, respondents have not been com plied the order whenever specific direction made by the joint order vide memo no. 436-2 dt.18.06.2012 and further issued direction to respondent for execution of the order passed by the D.C.L.R., and further give other legal consequential benefit to petitioner.
	Dispute land is Khata 102(o) 212 (n),Keshra 269(o)624(n)Area 62 Dec
	Khatiani land of Ram Narayan Choudhary, Ram Narayan Choudhary hav ing two sons Bhagwat Narayan Choudhary and Ram Narayan Choudhary, where Bhagwat Narayan Choudhary having one son namely Tripur Narayan Choudhary, Tripur Narayan Choudhary having one son Vishnudeo Choudhary (petitioner).
28.04.2000	Aforesaid land was wrongly recorded in the Hal Survey as Bihar Govt.
05.05.2000	,hence petitioner filed an application before Survey Officer U/s 106, B.P. Act, the matter has been decided by the Order dt. 28.04.2000, Learned Survey Officer allow the application and ordered to correct the Khatian in the name of the petitioner and subsequently order of degree passed .
01.07.2000	In pursuance of order contain annexure - 1 series, respondent authority cor rected the Khatiyan in the name of the petitioner by order dt. 01.07.2000, since very date the petitioner is title and possession of the dispute land and paying the rent to the State Government.
15.03.2011 30.06.2011	D.C.L.R. passed order dt. 30.06.2011 by which directed to the respondent Anchaladhikari and Officer In-charge of the Police Station Bihariganj to give possession of the land of the petitioner .
24.03.12	Anchaladhikari,Bihariganj also issued notice to Respondent no. 7-13 by I which directed to appear on 05.04.2012 and asked whether any appeal have been filed against the order dt. 30.06.2011 or not ,for which filed objec tion petition but respondent did not filed objection nor filed appeal
19.06.2012	Additional Collector, Madhepura, Superintendent of Police, Madhepura and Collector, Madhepura has been pleased to issue a joint order by which took decision for complying the order passed under Bihar Land Dispute Resolu tion Act, 2009 and also directed to Land Reform Deputy Collector to verify
05.10.2012	Land Reform Deputy Collector, Udakishunganj issued a letter memo no. DB1294 dt. 05.10.2012, by which directed to comply the order passed in the Bihar Land Dispute Resolution No. 50/2010-11.
11.01.13 28 .02.13	petitioner filed several application before Deputy Collector Land Reform, Udakishunganj,as well as Commissioner, Koshi Division , Saharasa.

Hence this writ application

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(CIVIL WRIT JURISDICTION)

C.W.J.C No............................../2014

In the matter of an application under Article 226 of the Constitution of India.

A N D

In the matter of;

Bishnudeo Choudhary, S/o Late Tripur Narayan Choudhary, R/o village Bhelahi, P.S. Bihariganj, District Madhepura. .... Petitioner

Versus

1. The State of Bihar through Secretary, Revenue and Land Reforms Department,Govt. of Bihar, Patna.

2. The Commissioner, Koshi Division, Saharsa, District Saharsa

3. The District Magistrate, Madhepura, District Madhepura

4. The Sub Divisional Officer,Madhepura, District Madhepura

5. The Land Reform Deputy Collector, Kishanganj, District Madhepura.

6. The Anchaladhikari, Bihariganj, District Madhepura.

7. The Officer In-charge, P.S.-Bihariganj, District Madhepura.

8. Bouku Mandal, S/o Bhim Mandal,

9. Manjula Devi, D/o Bouku Mandal,

10. Kamo Mandal, S/o Ganga Mandal,

11. Bhalo Devi, W/o Kamo Mandal.

12. Sinku Mandal, S/o Bouku Mandal

13. Phulo Devi, W/o Late Yogendra Prasad Mandal,

all are R/o village - Belahi, Anchal Bihariganj, District Madhepura..... Respondents

To

The Hon'ble Justice Ms Justice Rekha M. Doshit, the Chief Justice of the High Court of Judicature at Patna and his companion Justice of the said Hon'ble Court.

The humble application on behalf of petitioner above named.

MOST RESPECTFULLY SHEWETH;-

1. That this writ application is being filed for issuance of a writ in the nature of manda -mus for direction to respondents to comply the order dt. 30.06.2011 passed by Land Reforms Deputy Collector, Udakishunganj, in Bihar Land Dispute Resolution case No. 50/2010-11 by which order directed to the respondent no. 5 & 6 to give possession of the Land to petitioner which has been illegally encroached by the Private respondent, inspite of the order of the respondent LR.D.C., Udakishunganj, respondents have not been com -plied the order whenever specific direction made by the joint order vide memo no. 436-2 dt.18.06.2012 and further issued direction to respondent for execution of the order passed by the D.C.L.R., and further give other legal consequential benefit to petitioner .

2. That main point involved in this writ application are as follows :-

i) Whether the respondents are duty bound to comply the order dt. 30.06.2011 passed by Land Reform Deputy Collector, Udakishunganj, in Bihar Land Dispute Resolu

tion case No. 50/2010-11 by which order directed to the respondent no. 5 & 6 to give possession of the Land to petitioner or not ?

ii) Whether a respondent Additional Collector, S.P., Collector Madhepura have alrea--dy been passed joint order regarding execution of the order passed under the Bihar Land Dispute Resolution Act 2009 then respondent Anchaladhikari and Of-ficer of the concerning Police Station are duty bound to execute the order or not?

iii) Whether action of the respondents illegal, arbitrary, malafide and miscourage of justice or not?

3. That petitioner is citizen of India and he is entitled for right guarantee under the Constitution of India.

4. That the dispute land is relating to

Khata	Keshra	Area
102(o)	269(o)	62 Dec.
212 (n)	624(n)	62 Dec.

5. That aforesaid land is Khatiani land of Ram Narayan Choudhary, Ram Narayan Choudhary having two sons Bhagwat Narayan Choudhary and Ram Narayan Choudhary, where Bhagwat Narayan Choudhary having one son namely Tripur Narayan Choudhary, Tripur Narayan Choudhary having one son Vishnudeo Choudhary (petitioner).

6. That it is needful to stated here that aforesaid land was wrongly recorded in the Hal Survey as Bihar Government,hence petitioner filed an application before Survey Officer U/s 106, B.P. Act, the matter has been decided by the Order dt. 28.04.2000, Learned Survey Officer allow the application and ordered to correct the Khatian in the name of the petitioner and subsequently order of degree has been passed on 05.05.2000.

A true photo copy of the order dt.28.04.2000 and dt.05.05 .2000 are annexed as Annexure - 1 series to the petition.

7. That in pursuance of order contain annexure - 1 series, respondent authority cor rected the Khatiyan in the name of the petitioner by order dt. 01.07.2000, since very date the petitioner is title and possession of the dispute land and paying the rent to the State Government.

8. That the respondent no. 8-13 was belonged to same family, they have forcibly take possession of the land of the petitioner and have complained to file an application before Land Reform Deputy Collector, Udakishungan, where case has been instituted as Bihar Land Dispute Resolution Case No. 50/2010-11, thereafter notices have issued to the private respondents 8 - 13, after receiving notice but they have chosen to appear before the concern and compelled to decide the matter and on the basis of the record respon dent D.C.L.R. passed order dt. 30.06.2011 by which directed to the respondent Anchaladhikari and Officer In-charge of the Police Station Bihariganj to give possession of the land of the petitioner .

A true photo copy of order dt. 15.03.2011 and dt. 30.06.2011 are annexed as Annexure -2 Series of this application.

9. That it is also needful to stated here that the respondent Additional Collector, Madhepura, Superintendent of Police, Madhepura and Collector, Madhepura has been pleased to issue a joint order bearing memo no. 436-2 dated 19.06.2012 by which took decision for complying the order passed under Bihar Land Dispute Resolution Act, 2009 and also directed to Land Reform Deputy Collector to verify about in compliance of the order.

A true photocopy of the order dt. 19.06.2012 is annexed as Annexure - 3 to this application.

10. That respondent Land Reform Deputy Collector, Udakishunganj issued a letter memo no. DB1294 dt. 05.10.2012, by which directed to comply the order passed in the Bihar Land Dispute Resolution No. 50/2010-11.

A true photo copy of letter dt. 05.10.2012 is an -nexed as Annexure - 4 to this application.

11. That Anchaladhikari,Bihariganj also issued notice to Respondent no. 7-13 by letter dt. 24.03.2012 by which directed to appear on 05.04.2012 and asked whether any appeal have been filed against the order dt. 30.06.2011 or not ,for which filed objection petition before on 05.07.2012 but respondent did not filed objection nor filed appeal .

A true photo copy of letter dt. 24.03.12 is an nexed as Annexure - 5 to this application.

12. That petitioner filed several application before Deputy Collector Land Reform, Udakishunganj,as well as Commissioner, Koshi Division , Saharasa inter alia stated that order dt. 20.06.2011 has not been complied as yet, whenever said very order is final order because no any appeal filed by the respondent before the Comepetent authority but re spondent authority setting tied over the matters. Hence, application of the petitioner has not been considered as yet, nor order dt. 30.06.2011 has not been complied as yet, in the result petitioner is suffering without any clausable reasons.

A true photo copy of the representation dt.11.01.13 &28 .02. 2013 are annexed as Annexure 6 series to this application

13. That petitioner filed several application before repondents for removing encroach

ment but respondents did not take any step for removing encroachment from land of petitioner nor complied the order dt. 20.06.2011 without any clausable reason, not only, representations of petitioner still pending for due consideration till today.

14. That on the above facts and circumstances of the case petitioner is deserve relief by this Hon'ble Court.

15. That petitioners have no other efficacious and alternative remedy save and except to move before this Hon'ble Court.

16. That petitioner has not moved any time earlier for the relief sought for in para-1 of this writ application.

It is therefore, prayed that your lordship may graciously be pleased to issue notice to show cause as to why the relief sought for in para-1 of this writ application be not granted to the petitioner and upon cause being shown if any and after hearing the parties pass such other order/orders as your lordshipmay deem fit and proper in the facts and circumstances of the case;

And for this the petitioner shall ever pray.

AFFIDAVIT

I, Bishnudeo Choudhary,aged about 60 years S/o Late Tripur Narayan Choudhary, R/o village Bhelahi, P.S. Bihariganj, District Madhepura,do hereby solemnly affirm and state as follows:-

1. That I am petitioner in this case and as such am well acquainted with the facts and circumstances of the case.

2. That I have gone through the contents of this application and have fully under stood the same.The statements made in Para. no.3 to 5 ,7 and 13 to 14 are true to my knowledge and para. no. 6 and 8 to 12 are on information derived from the records of the case and rest are by way of submission before this Hon'ble Court.

3. That annexures are true/photo copies of the originals.

Annexure-1 Series

(9)

आदेश की सच्ची प्रतिलिपि

न्यायालय श्री ए० रहमान श० पदा०
बेलाही अंचल किशनगंज

वाद संख्या – 3552/77

मौजा – बेलाही, अंचल किशनगंज 221
वादी – विष्णुदेव चौधरी वै
प्रतिवादी – अनावाद बिहार सरकार, अंचलाधिकारी, उदाकिशुनगंज।

28.04.2000

यह वाद संख्या 3552/77 स्व० मृत वादी त्रिपुर नारायण चौधरी के द्वारा धारा 106 वी०टी० ऐक्ट के तहत प्रतिवादी खाता रैयत बिहार सरकार के विरूद्ध द्वारा अंचलाधिकारी, उदाकिशुनगंज मौजा बेलाही थाना नं० 221 के हाल खाता 212 हाल खेसरा 624 खाता 062 डी० में से 524 से आधारा 31 डी० पर दायर किया गया है। मूल वादी त्रिपुर चौधरी की मृत्यु के बाद उनके एक मात्र पुत्र विष्णुदेव चौधरी को वादी प्रतिस्थापित किया गया। वादी का दावा है कि विवादी साक्षी उनकी मौउसी खतियानी जमीन है। जमीन पर उनका जन्मजात दखल है। किन्तु गलती से हाल सर्वे में प्रतिवादी बिहार सरकार के नाम से खाता खुल गया है और खतियानी के खाता कैफियत में वादी का अवैध दखल खाता दर्ज किया गया है। वादी का अनुरोध है कि वादी रकवा से प्रतिवादी का नाम खतियान वाद वादी का नाम दर्ज किया जाए।

दिनांक 26.09.97 को वाद प्रविष्टि के पश्चात् दिनांक 09.03.98 को वादी की ओर से दाखिल सुधार आवेदन को स्वीकृत करते हुए एक मात्र प्रतिवादी बिहार सरकार को द्वारा अंचलाधिकारी किशुनगंज दिनांक 15.05.98 के लिए अर्जी के साथ सम्मन भेजा गया जो तामिला प्रतिवेदना अंचल किरानी द्वारा दिनांक 09.05.98 को प्राप्त किया गया। सम्मन प्राप्ति के बाद प्रतिवादी की ओर से स० स० अधिवक्ता की वी०पी० साहा ने हाजरी दी एवं दिनांक 05.06.98 को वाद पत्र की प्रति की प्राप्त की। किन्तु प्रतिवादी की ओर से लिखित जवाब व विचार बिन्दू दाखिल नहीं किये जाने के कारण दिनांक 21.08.98 को वाद में एक पक्षीय कार्रवाई का आदेश हुआ। किन्तु दिनांक 04.09.98 को प्रतिवादी की ओर से एक पक्षीय आदेश दिनांक हेतु आवेदन दाखिल जो उभय पक्षां की सहमति से दिनांक 25.09.98 को स्वीकृत किया गया। फिर भी प्रतिवादी द्वारा लिखित जवाब व विचार बिन्दू दाखिल नहीं करने के कारण पुनः वाद में दिनांक 04.09.99 को एक पक्षीय कार्रवाई का आदेश हुआ। तत्पश्चात् दिनांक 18.06.99 को वादी के प्रथम गवाह का परीक्षण तथा गवाह पुनः दिनांक 09.07.99 को प्रतिवादी की ओर से लिखित जवाब व विचार बिन्दु दाखिल तथा वादी के दूसरा गवाह का परीक्षण तथा प्रतिवादी बिहार सरकार द्वारा प्रतिपरीक्षण के वाद गवाह उक्त दिनांक 30.07.99 को वादी के तीसरा गवाह द्वारा वादी की मूल रसीद का प्रदर्श प्रतिपरीक्षण एवं गवाह मृत/ वादी के प्रथम गवाह का भी प्रति परीक्षण एवं गवाह मृत दिनांक 30.08.99 को वादी के चौथा गवाह द्वारा वादी की ओर इस रसीद का प्रदर्श किया गया। प्रतिवादी की अनुपस्थिति में गवाह मुक्त। वादी की ओर से अपने दावा के समर्थन में मूल रसीद संख्या 852631

(10) (9)

जमाबंदी नं० 4 रकवा 055 डी० लगान 062 अपना सलाना अलावे शेष बचा वादी विष्णुदेव चौधरी पे० स्व० त्रिपुर नारायण चौधरी वर्ष 93–94 दिनांक 17.11.93 दाखिल जिसकी पीठ पर पुराना खाता 102, पुराना खेसरा 269 रकवा 031 डी० अदित अन्य खाता खेसरा की कुल 066 डी० जमीन कर्मचारी के लघु हस्ताक्षर सहित दर्ज है। स्वयं वादी सहित वादी की ओर से कुल चार गवाहों का परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण कराया गया जिसमें से प्रथम दो मोश्तिक साक्षी है जिन्होनें मुख्यतः वाद मुझी पर वादी का दखल कब्जा के बिन्दू पर गवाही दी जबकि तीसरा चौथा गवाह ने वादी की मूल रसीद का प्रदर्श किया। सभी गवाहों के बयान से वादी ने दखल कब्जा व दावा की पुष्टि होता है। वादी की गवाही बन्द करने के पश्चात् प्रतिवादी को एक पक्षीय समय दिये जाने बाद भी प्रतिवादी की ओर से कोई साक्ष्य, सबूत पेश नहीं किया गया। इससे स्पष्ट हो जाता है कि प्रतिवादी को कोई ठोस कागजी प्रमाण नहीं है। फिर भी सर्वे जमीन श्री गंगाधर झा से विवादित जमीन का नया नक्शा तुलनात्मक चीज के साथ स्तर जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। प्रतिवेदनानुसार नया खेसरा 624 पुराना 269 के अंश से बना है। किस्म जमीन भी० एफ० बारी है। खेसरा 624 के जनीद पूरब भाग से खाता 031 डी० वादी विष्णु चौधरी पिता स्व० त्रिपुर नारायण चौधरी को शांतिपूर्ण दखल है जो वादी के आवासीय मकान के आसपास बताई गई।

वादी की ओर से दाखिल लिखित बहस में भी वादी के वि० अधि० वादी के सभी साक्ष्य सबूत का जिक्र करते हुए प्रतिवादी के नाम से दाखिल खाता कागजात खारिज कर वादी के नाम दर्ज करने का अनुरोध किया है। इस प्रकार वादी का खाता सही प्रतीत होता है। अतः वादी की ओर से दाखिल कागजात प्रमाण गवाह के बयान प्रतिवादी के ठोस साक्ष्य सबूत का अभाव अमीन का स्तर जाँच प्रतिवेदन एवं वादी के लिखित बहस के आधार पर आदेश दिया जाता है कि मौजा बेलाही, थाना नं० 221, अंचल बिहारीगंज, जिला मधेपुरा के हाल खाता 212, खेसरा 624, रकवा 0.62 डी० में से जानीब पूरब में 31 डी० वादी विष्णुदेव चौधरी, पिता स्व० त्रिपुर नारायण चौधरी, साकिन बेलाही , थाना बिहारीगंज, जिला मधेपुरा का दखल स्वामित्व दर्ज करें। प्रतिवादी का नाम खारिज समझें। शेष रकवा पर पुष्टि यथावत रहेगी। उभय पक्ष अपना – अपना खर्च स्वयं वहन करेंगें । आदेशानुसार डिक्री जारी करें। वाद का दावा स्वीकृत।

(18)

डिक्री की सच्ची प्रतिलिपि

न्यायालय श्री ए० रहमान श० पदा०

सहरसा।

वाद संख्या – 3552/77

वादी – विष्णुदेव चौधरी पिता स्व० त्रिपुर नारायण चौधरी, ग्राम बेलाही, पोस्ट बिहारीगंज, थाना बिहारीगंज, जिला मधेपुरा।

बनाम्

प्रतिवादी – बिहार सरकार, अंचलाधिकारी, उदाकिशुनगंज, जिला मधेपुरा।

मौजा बेलाही, अंचल किशनगंज, थाना नं० 221, खाता नं० 212, खेसरा नं० 326, रकवा 62डी०, भाग रकवा – 33डी०

1. अनुसूची – अ में लिखित जमीन का खाता बिहार सरकार के नाम से खारिज एवं वादी के नाम से दर्ज करने का आदेश दिया जाता है।

2. अनुसूची – अ में लिखित जमीन के खाते में किशोर नारायण वो पिता राम नारायण एक अंश त्रिपुर ना० चौधरी पिता भागवत ना०, एक अंश विमल कुमार झा, अधिवक्ता, बी०पी०साह, ए०जी०पी।

मौजा बेलाही , थाना 221, अंचल किशनगंज, जिला मधेपुरा के खाता 212, खेसरा 624, रकवा 062 डी० में से जनाबी पूरब से 31डी० (एकतीस डीसमल) वादी विष्णुदेव चौधरी, पिता त्रिपुर ना०चौधरी सा० बेलाही, थाना किशुनगंज, जिला मधेपुरा का दखल स्वामित्व दर्ज करें। प्रतिवादी का नाम खारिज समझें। शेष रकवा पर प्रतिवादी यथावत रहेगी। उभय पक्ष अपना – अपना खर्च स्वयं वहन करेंगें।

वादी का दावा स्वीकृत।

ह०/अस्पष्ट

05.05.2000

Annexure-2 Series (11)

न्यायालय भूमि सुधान उपसमाहर्त्ता, उदाकिशुनगंज।

बिहार भूमि विवाद अधिनियम आवेदन/ वाद संख्या – 50/2010 – 11

विष्णुदेव चौधरी बनाम् बौकु मंडल अन्य 5

15.03.11

आवेदक विष्णुदेव चौधरी, पिता स्व० त्रिपुर नारायण चौधरी, सा० बेलाही, थाना बिहारीगंज, जिला मधेपुरा ने विपक्षीगण बौकु मंडल, पिता स्व० भीम मंडल, (2) मंजूला देवी, पति बौकु मंडल, (3) कामो मंडल, पिता स्व० गंगा मंडल (4) मालो देवी पति कामो मंडल, (5) सिंकु मंडल, पिता बौकु मंडल, (6) फुलो देवी, पति स्व० योगेन्द्र मंडल सभी साकिनान – बेलाही, थाना बिहारीगंज, जिला मधेपुरा के विरूद्ध बिहार भूमि विवाद अधिनियम 2009 के तहत आवेदन दाखिल कर निवेदन किया है कि विपक्षी के द्वारा बेदरवल भूमि पर वादी को दखल वापस दिलाने की कृपा की जाय।

विवादी भूमि का विवरण –

मौजा – बेलाही, थाना नं० 221, अंचल – बिहारीगंज, खाता 212, खेसरा 624, रकवा ए०डी० 00.31, चौहद्दी – पक्की सड़क, द० – तेज नारायण झा, पू० – गरीब दास कामती, प० – बिहार सरकार।

आवेदक के आवेदन पर उनके विद्वान अधिवक्ता को सुना। विपक्षीगण को सूचना निर्गत करें।

अभिलेख दिनांक 30.03.11 को प्रस्तुत करे।

ह०/अस्पष्ट
भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
उदाकिशुनगंज

बिहार भूमि विवाद अधिनियम आवेदन / वाद संख्या – 50/2010 – 11

30.06.11 वादी की अधिवक्ता हाजरी। प्रतिवादी अनुपस्थित।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। वादी अपने दावे के समर्थन में मूल कागजात एवं लिखित बहस दाखिल करें। अभिलेख आदेशार्थ प्रस्तुत करें।

ह०/अस्पष्ट
भू०सु०उप०स०

पुनश्च : वादी के ओर से लिखित बहस एवं कागजात दाखिल किया गया।

ह०/अस्पष्ट
भू०सु०उप०

पुनश्च : आदेश अलग से तीन (3) पन्ने में संलग्न है।

ह०/अस्पष्ट
भू०सु०उप०स०

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता किशुनगंज, भूमि विवाद निराकरण वाद संख्या सं० – 50/2010– 11 विष्णुदेव चौधरी बनाम् बौकू मंडल एवं 5 अन्य।

आदेश

30.06.11 दिनांक 15.03.11 को वादी विष्णुदेव चौधरी पिता स्व० त्रिपुर ना० चौधरी साकिन – बेलाही, थाना + अंचल – बिहारीगंज, जिला मधेपुरा ने उसी गाँव के बौकु मंडल पिता स्व० भूमि मंडल (2) मंजुला देवी पति बौकू मंडल, (3) कामो मंडल पिता गंगा मंडल (4) मालो देवी, पति कामो मंडल (5) फुलो देवी पति स्व० योगेन्द्र मंडल के विरूद्ध निम्नांकित भूमि के लिए बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम की धारा 4(घ) के साथ पठित धारा 4 (क) एवं 4(ख) के तहत आवेदन दिया :–

मौजा – बेलाही, थाना नं० 221, अंचल – बिहारीगंज

खाता – 212, खेसरा 624, रकवा 31 डीसमल, चौहद्दी – उ० – कच्ची सड़क, द० तेज ना० झा, पु० गरीब दास कामती, प० बिहार सरकार।

2. प्रतिवादियों को नोटिस दिया गया। प्रतिवादी संख्या – 1 बौकू मंडल ने दिनांक 01.04.2011 को नोटिस लिया लेकिन प्रतिवादी की ओर से सभी ने उपस्थिति दी गयी न प्रत्युत्तर पत्र दिया और नहीं बहस में भाग लिया। अंततः दिनांक 30.06.2011 को एक पक्षीय सुनवाई की गई।

3. वादी का दावा :–

3.1 प्रश्नगत जमीन वादी को परौसी भूम है जिसपर ये लम्बे अरसे से दखलकार होते चले आ रहे है।

3.2 सर्वे अमलेगान को गलती से हाल सर्वे में खतियान अनावाद बिहार सरकार प्रकाशित हुआ जिसके अभियुक्त कालम में वर्ष 1964 से अवैध दखल वा दो के परिवारिक बँटवारा में 31 डी० का हिस्सा मिला। अतः ये धारा 106 बी०टी० एक्ट के तहत वाद संख्या – 3552/1977 दायर किया और 31 डीसमल पर इनका स्वत्व घोषित किया गया तथा खतियान को तदनुसार संशोधित किया गया जिस आलोक में इनके नाम जमाबन्दी संख्या 439/441 सृजित हुआ और ये मालगुजारी रसीद प्राप्त कर रहे हैं।

3.4 वर्ष 2005 में प्रतिवादी गण वादी को जबरन बेदखल कर देने का प्रत्यक्षकृत अपराध किया जिसपर विविध वाद संख्या – 427/2005 धारा 145 दं० प्र०सं० चला जो लम्बित है।

3.5 वाद कारण 8 माह पूर्व बाद भूमि को घेर कर घर चलाने को प्रक्रिया शुरू कर दी गयी। इन्होनें पुलिस प्रशासन एवं सामान्य प्रशासन के समक्ष आवेदन दिया। प्रतिवादी ने 4 फूस का घर चढ़ा दिया वो वाद भूमि को टट्टी से घेरकर इन्हें बेदखल कर दिया।

3.5 पुराना सर्वे में खाता 101, खेसरा 269 रकवा 60 डीसमल वकास्त मालिक राम ना० चौधरी दर्ज था। नया सर्वे में खेसरा 62 रकवा 62 डी० पारिवारिक विभाजन में वादी आधा यानि 31 डिसमल का हिस्सेदार हुआ। पूर्व में जमीन बेलगान थी। धारा 106 बी०टी० एक्ट में आदेश पारित होने के बाद तरमीम हुआ तब विधिवत लगान निर्धारण हुआ और जमाबंदी संख्या 439/441 कायम हुआ। वादी बी.टी. एक्ट को धारा 5(2), 21 के अनुसार प्रश्नगत जमीन के वास्तविक रैयत हैं।

4. वादी की ओर से मालगुजारी रसीद अंचल से प्राप्त दो इनफोरमेशन स्लिप हाल सर्वे का खतियान को संशोधित प्रति एवं पुराना खतियान दाखिल किया है।

5. **Findings.**

5.1 जमीन के स्वत्व वो स्वामित्व के लिए सर्वे खतियान और मालगुजारी रसीद सबल कागजी सबूत माना जाता है। वादी के पास दोनों सबूत है। इनके अतिरिक्त अंचल कार्यालय से प्राप्त सूचना से यह भी प्रमाणित होता है कि प्रश्नगत जमीन का बासगीत पर्चा नहीं निर्गत है।

5.2 धारा 145 दं०प्र०सं० के तहत् प्रक्रिया लम्बित है लेकिन भूमि विवाद निराकरण अधिनियम के मामले में धारा 145 दं० प्र० सं० को प्रक्रिया लम्बित रहना बाधकर नही है।

5.3 इस वाद में नोटिस तामिल हो जाने के बावजूद प्रतिवादी का तो प्रतिनिधित्व भी नहीं हुआ ओर वादी अपने दावे को कागजी प्रमाणों से सभी संदेहों से परे प्रमाणित करने में सक्षम रहे।

5.4 प्रश्नगत जमीन पर वादी को दखल कब्जा दिलाना उचित प्रतीत होता है।

उपर्युक्त परिस्थितियों में अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों पर सम्यक विचारोपरान्त आदेश दिया जाता है कि अंचल अधिकारी प्रश्नगत जमीन पर वादी को थानाध्यक्ष के सहयोग से दखल दिलवा दें। इस आदेश की प्रति अंचल अधिकारी/ थानाध्यक्ष, बिहारीगंज को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित
ह०/अस्पष्ट
30.06.11
भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
उदाकिशुनगंज।

Annexure - 3

(13)

समाहरणालय, मधेपुरा
(जिला राजस्व शाखा)

–: संयुक्त आदेश :–

भूमि विवाद से संबंधित मामलों में बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत् सक्षम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के ससमय कार्यान्वयन नहीं होने के कारण उक्त अधिनियम के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाती है। उक्त अधिनियम के उद्देश्य की पूर्ति हेतु सरकार काफी गम्भीर है, इसलिए जिला स्तर से अंचल स्तर तक के पदाधिकारियों को गम्भीर होने की आवश्यकता है।

सरकार के संयुक्त सचिव, गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 5389 दिनांक 07.06.2012 के कंडिका 14 के आलोक में सभी अंचल अधिकारी एवं सभी थानाध्यक्ष, मधेपुरा जिला को निदेश दिया जाता है कि वे नियमित एवं स्थायी रूप से साप्ताहिक बैठक कर बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत् सक्षम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के ससमय कार्यान्वयन की दिशा में कारगर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगें।

सभी अंचल अधिकारी, मधेपुरा जिला को यह भी आदेश दिया जाता है कि उक्त बैठक की कार्यवाही पंजी का संधारण अलग से करेंगें तथा उक्त पंजी में नियमित रूप से आयोजित साप्ताहिक बैठक की कार्यवाही अंकित करेंगें एवं कार्यवाही की प्रति जिला राजस्व शाखा को भी उपलब्ध कराएँगें।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मधेपुरा, / उदाकिशुनगंज को निदेश दिया जाता है कि वे अपन स्तर से भी समय – समय पर उक्त बैठक की समीक्षा करेंगें तथा नियमित रूप से तत्संबंधी प्रतिवेदन जिला राजस्व शाखा को भेजना सुनिश्चित करेंगें। उक्त बैठक नियमित एवं स्थायी रूप से आयोजित हो, इसकी सारी जिम्मेवारी भूमि सुधार उप समाहर्त्ताओं की होगी।

इसी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

ह०/अस्पष्ट	ह०/अस्पष्ट	ह०/अस्पष्ट
अपर समाहर्त्ता	पुलिस अधीक्षक,	समाहर्त्ता,
मधेपुरा।	मधेपुरा।	मधेपुरा।

ज्ञापांक – 436–2 /रा० दिनांक 19.06.2012

प्रतिलिपि – सभी अंचल अधिकारी एवं सभी थानाध्यक्ष, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि – उप समाहर्त्ता, भूमि सुधर उप समाहर्त्ता, मधेपुरा / उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि – अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा एवं उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक – 2369–2 / दिनांक 23.06.12

प्रतिलिपि – सभी अंचल अधिकारी/ थानाध्यक्ष, उदाकिशुनगंज, अनुमंडल को सूचनार्थ एवं अक्षरशः ससमय पालन हेतु प्रेषित।

ह०/अस्पष्ट
23.06.12
भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
उदाकिशुनगंज।

Annexure-4

(14)

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, उदाकिशुनगंज

डी0बी0सं0- 1294 , दिनांक- 5-10-12

प्रेषित,

अंचल अधिकारी/ थानाध्यक्ष बिहारीगंज

विषय :- बिहार भूमि विवाद निराकरण वाद सं0- 50/10-11 में न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के आलोक में दखल दिलाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के आलोक में आदेश दिया जाता है कि बिहार भूमि विवाद निराकरण वाद सं0 50/10-11 नाम विष्णुदेव मौआरी बनाम बौकू मंडल एवं 5 अन्य विहित प्रावधानानुसार रैयती भूमि पर दखल-कब्जा दिलाने में नियमानुसार शुल्क लेकर एवं आवंटित भूमि यथा भू-दान/ भू-हदबंदी/पर्चा/सिलिंग/भू-बन्दोवस्ती पर निःशुल्क दखल-कब्जा दिलाना है। एतद् प्रसंग में निदेश दिया जाता है कि समाहर्त्ता/पुलिस अधीक्षक/अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा के संयुक्त आदेश सं0-436/रा0, दिनांक-18.06.12 के आलोक में न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुरुप दखल-कब्जा दिलाना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्रवाई से न्यायालय को भी अवगत करावें।

04.10.12

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,

उदाकिशुनगंज।

अंचल कर्यालय, बिहारीगंज

(15)

भूमि विवाद निराकरण वाद सं0 01 / 2011–12

सूचना

नोटिस बनाम– 1. बौकु मंडल, पिता– भीम मंडल, 2. मंजुला देवी पति– बौकु मंडल 3. कामो मंडल पिता– गंगा मंडल 4. भालो देवी, पति– कामो मंडल 5. सिंकू मंडल पिता– बौकु मंडल एवं फुलो देवी पति– स्व0 योगेन्द्र प्रसाद मंडल सभी साकिनान– बेलाही, अंचल– बिहारीगंज जिला– मधेपुरा।

वजरिये नोटिस आपको सूचित किया जाता हैं कि भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, उदाकिशुनगंज के भूमि विवाद निराकरण वाद सं0 50 / 2010–11 विष्णुदेव चौधरी बनाम बौकु मंडल एवं पाँच अन्य में पारित आदेश के विरूद्ध आपके द्वारा यदि किसी न्यायालय में अपील दायर किया गया है तो दिनांक ......05/4/12......को उपस्थित होकर आपत्ति दायर करें। आपके द्वारा निर्धारित तिथि को आपत्ति प्रप्त नहीं होने पर पारित आदेश के आलोक में अग्रतर कार्रवाई की जायेगी।

इसे अत्यावश्यक समझे।

जमीन का विवरण

मौजा	थाना नं0	खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
बेलाही	221	212	624	31 डी0	उ0– कच्ची सड़क द0– तेज ना0 झा पु0 गरीब दास कामती प0– बिहार सरकार

अंचलाधिकारी,
बिहारीगंज।

(16)

(1) अंचल अधिकारी
बिहारीगंज — DB-NO – 1294/5/10/12 /संध्या
1298/5/10/12 /संध्या

(2) थानाध्यक्ष
बिहारीगंज — DB-NO – 1294/5/10/12 /संध्या
1298/5/10/12 /संध्या

Annexure-6 series (17)

सेवा में,

श्रीमान् आयुक्त महोदय,
जनता दरबार
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

विषय : भूमि विवाद निराकरण वाद सं0 50/2010–11 में विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, उदाकिशुन गंज द्वारा 30.06.2011 को पारित आदेश के आलोक में अंचल अधिकारी और थानाध्यक्ष द्वारा कोई कार्यवाई अभी तक नहीं होने के संबंध में।

महाशय,

निवेदन के साथ कहना है कि मैं विष्णुदेव चौधरी पिता स्व0 त्रिपुर ना0 चौधरी, साकिन बेलाही, थाना बिहारीगंज, जिला मधेपुरा का निवासी हूँ, उपरोक्त विषयक संबंध में निवेदन पूर्वक सूचित करना है कि निम्न वर्णित जमीन जिसे बाजबरन अवैध तरिके से विपक्षीगण बोकू मंडल पिता स्व0 भीम मंडल वो मंजूला देवी पति बौकू मंडल वो कामो मंडल पिता स्व0 गंगा मंडल वो मालो देवी पति कामो मंडल वो सिंकु मंडल पिता बौकू मंउल वो फुलो देवी पति स्व0 भोगेन्द्र मंडल सभी साकिन बेलाही, थाना बिहारीगंज, जिला मधेपुरा ने एकजूट होकर अवैध तरिके से निम्न वर्णित भूमि हड़प कर जोर जबर्दस्ती फूस का घर चढ़ा दिया जिसके विरूद्ध मैंने बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत एक वाद सं0 50/2010–11 विष्णुदेव चौधरी बनाम बोकू मंडल वगैरह न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, उदाकिशुनगंज में दाखिल किया जिसमें उभय पक्षों के बीच विधिवत सुनवाई कर वो उभय पक्षों का साक्ष्य सबुतो का अवलोकन कर मेरे पक्ष में दिनांक 30.06.2011 को आदेश किया गया वो तद्नुसार अंचलाधिकारी बिहारीगंज को वर्णित थानाध्यक्ष के सहयोग से हमें दखल दिलाने का आदेश प्रदान किया गया किन्तु आश्चर्य की बात है कि डेढ़ वर्ष बीत जाने के प्श्चात भी आजतक अंचलाधिकारी महोदय ने बार बार निवेदन करने के प्श्चात भी उक्त आदेश के आलोक में कोई भी कार्यवाई करने का प्रयास नहीं किये जबकि इस संबंध में दो दो बार भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता को आवेदन देकर विवादी भूमि पर न्यायालय के आदेश का पालन करवाने हेतु निवेदन कर चुका हूँ, फिर भी उस दिशा में कोई ठोस कार्यवाई नहीं हो पाने की वजह से सरजमिन पर न्याय नहीं मिल सका है।

यह कि इस बीच अंचल और थाना को नाजायज रूप से अपने मेल में ले आने के वजह से अब विपक्षी विवादित भूमि पर और निर्माण कार्य करने की योजना में लग गया है।

(18)

अतः प्रार्थना है कि उपरोक्त तथ्यों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए वास्ते इंसाफ अपने स्तर से कानूनी कार्यवाई करने की कृपा प्रदान की जाय।

विश्वासभाजक

विष्णुदेव चौधरी

दिनांक - 11.01.2013

पिता – स्व0 त्रिपुर ना0 चौधरी,

साकिन– बेलाही, थाना बिहारीगंज,

जिला –मधेपुरा

अनुलग्नक :—

(1) छायाप्रति आदेश भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता उदाकिशुनगंज - वाद सं0 - 50/2010-11

(2) छायाप्रति आवेदन भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता - दिनांक - 26.06.2012

(3) छायाप्रति खतियान

(4) छायाप्रति मालगुजारी सरकारी रसीद - 2012-13.

(19)

सेवा में,

श्रीमान् उप समाहर्ता भूमि सुधार,
सदर बिहारीगंज।

विषय:- भूमि विवाद निराकरण वाद संख्या- 50/ 2010- 11 में पारित आदेश एवं न्यायालय से निर्गत डी० डी० संख्या- 1294 दिनांक- 05. 10. 2012 के आलोक में निम्न वर्णित भूमि पर प्राधिकृत अंचल अधिकारी बिहारीगंज एवं थानाध्यक्ष बिहारीगंज द्वारा दखल वापस दिलाये जाने के संबंध में।

महाशय, उक्त

उपरोक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि मैं अपनी नीज निम्न वर्णित भूमि पर दखल-कब्जा वापस दिलाने हेतु बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के अन्तर्गत एक वाद संख्या- 50/ 2010-11 शिवदेव चौधरी बनाम धोकू मंडल वगैरह श्रीमान् के न्यायालय में दिनांक- 15.03.11 को दाखिल किया था तथा जिसमें दिनांक- 30.06. 2011 को श्रीमान् द्वारा मेरे पक्ष में आदेश पारित किया गया। श्रीमान् द्वारा पारित उक्त आदेश के आलोक में श्रीमान के हस्ताक्षर से न्यायालय द्वारा डी० बी० सं०- 1294 दिनांक- 05. 10.2012 के माध्यम से अंचल अधिकारी बिहारीगंज एवं थानाध्यक्ष बिहारीगंज को निम्न वर्णित भूमि पर मुझे दखल-कब्जा वापस दिलाने का आदेश दिया गया लेकिन इसके बावजूद भी अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष बिहारीगंज द्वारा मुझे आज तक निम्न वर्णित भूमि पर दखल-कब्जा वापस नहीं दिलाया जा सका है जो जहाँ एक ओर भूमि विवाद अधिनियम निराकरण अधिनियम 2009 की मौलिक अवधारणाओं का खुला उल्लंघन है वहीं दूसरी ओर न्यायालय की गरिमा भी आघात पहुँचाया गया है साथ ही साथ मुझे भी काफी आर्थिक एवं मानसिक क्षति पहुँच रहा है।

(20)

अतः श्रीमान् से विनम्र निवेदन है कि भूमि विवाद निराकरण वाद संख्या- 50/ 2010- 11 में पारित आदेश के आलोक में मुझे वर्णित जमीन पर वापस दखल दिलाने के साथ- साथ अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष बिहारी गंज के विरूद्ध उचित कार्रवाई करने की कृपा दर्शायी जाय ताकि न्यायालय की गरिमा कायम रह सके। श्रीमान् के इस कृपा का मैं आभारी रहूँगा ।

जमीन का विवरण
================

मौजा- बेलाही,
थाना/अंचल-बिहारीगंज

खाता	खेसरा	रकबा	चौहद्दी
212	624	31 डी0	उ0 कच्ची सड़क
			द0 शोभनाथ झा
			पू0 गरीबदास कानतीं
			प0 बिहार सरकार ।

निवेदक

बिष्णुदेव चौधरी
ग्राम- बेलाही
पो0- बिहारीगंज
जिला- मधेपुरा।

Idantified
M.O.
28.2.13